



आदेश-पत्रक
कार्यालय :- अंचल अधिकारी, रमकण्डा।

जिला-गढ़वा
वाद सं०-
वाद का प्रकार-

अनुमण्डल-रंका
02/वर्ष - 2022-23
E-Revenue Court

अंचल-रमकण्डा

आदेश की क्र० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभियुक्ति
1	2	3
02-03-2022	<p>आवेदक विरेन्द्र यादव, पिता- सखी यादव, ग्राम- पुन्दागा, पोस्ट- उदयपुर, थाना- रमकण्डा, जिला- गढ़वा के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है कि ग्राम- पुन्दागा के खाता संख्या- 05 प्लॉट संख्या- 85,86 एवं अन्य पर दाखिल-खारिज रोकने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन की जाँच संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करे।</p> <p align="right"> अंचल अधिकारी रमकण्डा।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक- विरेन्द्र यादव, पिता- सखी यादव ग्राम- पुन्दागा के द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या- 54/2021-2022 एवं 54/2021-2022 का जाँच किया तो पाया कि विक्रेता एवं अन्य हिस्सेदार के बिच आपत्ती बंटवारा नहीं हुआ है। एवं ग्राम पुन्दागा के खाता संख्या- 5 प्लॉट संख्या- 95 एवं अन्य कुल रकबा- 3.32 एकड़ भूमि पर कंटा का दाखिल-कब्जा नहीं है। अतः विक्रेता एवं अन्य हिस्सेदारों के बिच दाखिल-कब्जा नहीं होने के कारण नामान्तरण वाद संख्या- 54/2021-2022 एवं 54/2021-2022 अस्वीकृत किया जा चुका है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर RCMS पोर्टल पर चल रहे वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापत्र एवं संशोधित।</p> <p align="right"> अंचल अधिकारी, रमकण्डा।</p>	